न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास घासीलाल वर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 82/2015/आवेदन

मनोज कुमार पुत्र रामप्रकाश उम्र व्यस्क जाति ब्राहमण निवासी बी–97 विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली हाल निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

– प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये भूमिअधारी तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

–अनावेदक/अप्रार्थी

उपस्थितिः
1. श्री योगेश कुमार शर्मा प्रार्थी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही ।

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय

दिनांकः 02.08.2016

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ग्राम अलोदा भू.अ.निरीक्षक खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 300/1 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 302/1 रकबा 0.045 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 303/1 रकबा 0.25 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 0.475 एवं खसरा नम्बर 303/3 रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार है उक्त खसरा नम्बर में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी ग्राम अलोदा स्थित भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म सिवाय चक राजकीय भूमि में से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा व 200 मीटर लम्बा (नक्शा ट्रेश के पैमानानुसार) आगे जाकर उक्त खसरा नम्बर 288 की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित सडक सामेर से अलोदा जाने वाली में मिलता है । उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी खातेरी भूमि का विकास नहीं कर पा रहा है तथा इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 300/1 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 302/1 रकबा 0.045 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 303/1 रकबा 0.25 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 0. 475 एवं खसरा नम्बर 303/3 रकबा 0.06 हैक्टर के उपयोग उपभोग करने, अपनी रिहायशी ढाणी में आने–जाने पशुधन आदि को लाने व ले जाने वाहन ट्रेक्टर, लढ्ढा गाडी आदि लाने ले जाने से पूर्णतया वंचित है । अतः मेरी खातेरी भूमि के उपयोग उपभोग हेतु मुझे इस रास्ते की आवश्यकता है अतः 4 मीटर चोडा व 200 मीटर लम्बाई का उक्त रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम अलोदा के खसरा नम्बर 288 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म बंजड में से दिया जाकर इसे राजस्व रेकार्ड में रास्ते के

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जावें । प्रार्थना पत्र के साथ नकल प्रार्थी की खातेदारी व नकल जमाबन्दा व नक्शा राजकीय सिवायचक भूमि का पेश किया गया ।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । एवं उप तहसीलदार पलसाना से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक पलसाना से डीएलसी दर चाही गई । अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमकल में लाई गई । उप तहसीलदार पलसाना ने अपने पत्रांक 43/रीडर/2016 दिनांक 22.01.2016 व 338 दिनांक 01.08.2016 से रिपोर्ट में अंकित किया है कि अलोदा पटवार मण्डल अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 300/1 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 302/1 रकबा 0.045 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 303/1 रकबा 0.25 हैक्टर किता 3 कुल रकबा 0.475 एवं खसरा नम्बर 303/3 रकबा 0.06 हैक्टर की खातेदार प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमियों में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है ग्राम अलोदा के खसरा नम्बर 288 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म बंजड में से ही एक मात्र रास्ते का साधन है तथा इस राजकीय भूमि में से प्रार्थी को रास्ता दिये जाने पर 4 मीटर चौडाई व 212 मीटर लम्बाई कुल 848 वर्गमीटर भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग होगा । तथा प्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म बंजड में से 848 वर्गमीटर रास्ता चाहा गया है जो काबिल काश्त सिवाय चक है । ग्राम अलोदा की डीएलसी दर रूपये 463380– रूपये प्रति हैक्टर है जिससे 848 वर्गमीटर भूमि का मूल्य 39295 होता है तथा डीएलसी को 2 से गुणा करने पर 78590– रूपये मूल्य बनता है । नायब तहसीलदार पलसाना ने रास्ता कायम करने की अभिशंषा की भी की है ।

3. बहस प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि आवेदित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है उक्त रास्ता दिये जाने में नियमानुसार राशि का भुगतान पक्षकार को किया जावेगा ।

4. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर अपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं उप तहसीलदार पलसाना के पत्रांक 43/रीडर/2016 दिनांक 22.01.2016 एवं 388 दिनाक 01.08.2016 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व उप पंजीयक पलसाना द्वारा प्रस्तुत डीएलसी दर का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम अलोदा के खसरा नम्बर 288 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म बंजड में से पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडाई व 212 मीटर लम्बाई जो आगे दक्षिण दिशा की तरफ अलोदा से सामेर जाने वाली सडक में मिलता है जिसका क्षेत्रफल 848 वर्गमीटर बनता है जिसका मूल्य ग्राम अलोदा की डीएलसी दर 463380– रूपये प्रति हैक्टर से 848 वर्गमीटर वर्गमीटर का मूल्य 39295– का दुगुना रूपये 78590– बनता है उक्त कुल राशि प्रार्थी द्वारा तहसील दांतारामगढ में जमा करवाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3 (52) राज–6/12/4

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

जयपुर दिनांक 14.06.2013 की अनुपालना में ग्राम अलोदा के खसरा नम्बर 288 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म बंजड सिवायचक में से उक्त खसरा नम्बर की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडा व 212 मीटर लम्बा कुल 848 वर्गमीटर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु.रास्ता अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । प्रार्थी द्वारा ग्राम अलोदा की डीएलसी दर 463380– रूपये से 848 वर्गमीटर की कीमत राशि रूपये 39295– की दो गुणा राशि रूपये 78590–राजकोष में जमा करवाये जाने पर राजस्व अभिलेख व नक्शे में अंकन कर मौके पर रास्ता कायम किये जाने हेतु नायब तहसीलदार पलसाना को आदेश दिये जाते हैं कि राजकीय सिवाय चक काबिल काश्त लगानी में से 212 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई का सिवाय चक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें । राजस्व अभिलेख में लगान व रकबे का अंकन किया जावे तथा नक्शा ट्रेश में रास्ते की तरमीम की जावे । तदनुसार तहरीर जारी हो । मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

5. यह आदेश आज दिनांक 02.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner